

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 310/2019

सुमित झोरड़ पुत्र रविश जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1.रविश पुत्र राधेश्याम } जाति जाट निवासीयान खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला
2.सरोज पत्नी रविश } हनुमानगढ।

3.सुमन पुत्री राधेश्याम पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी निमला तहसील ऐलनाबाद
जिला सिरसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अरविन्द नैण वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रोहिताश चाहर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी को चक 7 केएचआर के खातासं० 84/74 के प०न० 223/208 मु० 7 किलानं० 3,4,6,7,8,11,12,13 कुल 2.024 है० मय गै०मु० खाला तथा प्रतिवादीसं० 1 रविश पुत्र राधेश्याम को चक 7 केएचआर के प०न० 223/208 मु० 7 किलानं० 17 ता 24 कुल 2.024 है० नहरी कृषि भूमि व चकनं० 6 केएचआर खाता सं० 110/110 की कुल 1.202 है० नहरी मय गै०मु० कृषि भूमि तथा प्रतिवादीसं० 2 सरोज पत्नी रविश को चक 7 केएचआर के खाता सं० 84/74 प०न० 223/209 मु० 12 किलानं० 1 ता 8 कुल 2.024 हे० मय गै०मु० खाला कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने तथा चकनं० 7 केएचआर के खाता सं० 84/74 व चकनं० 6 केएचआर के खाता सं० 110/110 में से राधेराम उर्फ राधेश्याम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....09.09.2020.....को जारी किया गया।



hira
(मांगीलाल)
महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी